2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए निर्यात विकास एवं संवर्धन के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए कार्य प्रणाली

उद्देश्य

यह कार्यक्रम भारत से मसालों के निर्यात विकास के उद्दोश्य के साथ पंजीकृत मसाले निर्यातक, संस्थाएँ आदि के बीच कार्यान्वयन के लिए लक्षित है। योजना के अंतर्गत दो मुख्य घटकों (1) निर्यात विकास (अवसंरचना विकास योजना) एवं (2) मसालों का संवर्धन (व्यापार संवर्धन) के अंतर्गत पणधारियों को सहायता प्रदान की जाती है।

निर्यात विकास घटक का लक्ष्य प्रसंस्करण के लिए सुविधाएँ बढ़ाने हेतु अवसंरचना विकास में समर्थन देना और मसालों का मूल्य वर्धन और गुणवत्ता एवं सुरक्षा अनुपालन के लिए प्रणालियाँ स्थपित करना है।

निर्यात संवर्धन घटक में उद्पात विकास एवं अनुसंधान, भारतीय मसाला ब्रैंड का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय बैठक/संगोष्ठी/प्रशिक्षण, पैकेज विकास आदि जैसे निर्यात को बढ़ावा देने के कार्यक्रम शामिल हैं।

निर्यात विकास एवं संवर्धन के अंतर्गत योजनाओं का उद्देश्य वैश्विक विनिर्माण एवं निर्यात हब के रूप में भारत की स्थिति को और बढ़ावा देने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों के अनुपालन करते हुए विक्रेयता में वृद्धि एवं भारत से मसाले एवं मूल्य वर्धित मसालों का निर्यात सुकर बनाना है।

वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान निर्यात विकास एवं संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम कार्यन्वित करने के लिए दिशा-निर्देश

सामान्य दिशा-निर्देश

1. स्पाइसेस बोर्ड, निधि की उपलब्धता के अधार पर एक अनुबंधित समय सीमा के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित करेगा। सभी पंजीकृत मसाला निर्यातक निर्यात विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

2. आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ स्पाइसेस बोर्ड के निकटतम अभिहित कार्यालय में प्रस्तुत करना है जब तक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो। अगर प्राथमिक संवीक्षा के दौरान किसी आवेदन पात्र नहीं पाया गया तो आवेदक को न्यूनता को सुधारने/ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सूचना दी जाएगी जिसके न कर पाने से पूरे आवेदन और अनुलग्नक आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा/अस्वीकार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करने के लिए योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार माँगे गए सभी दस्तावेज़ एवं जानकारी प्रदान करने एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं (यदी कोई है तो) के अनुपालन करने के लिए आवेदक पूरी तरह से ज़िम्मेदार है।

3. सभी प्रकार से आवेदन एवं अनुलग्नक प्राप्त होने पर, अभिहित कार्यालय आवेदन की प्राप्ति की पावती देगा और संबंधित योजना प्रकिया के अनुसार आवोदन का प्रक्रम करेगा। पावती का अर्थ आवश्यक रूप से आवेदन का अनुमोदन नहीं है, जब तक कि यह अंतिम संवीक्षा के दौरान सभी प्रकार से संभव नहीं पाया जाता है।

4. प्राप्त सभी आवेदनों को अभिहित कार्यालय द्वारा संवीक्षा की जाएगी। एक बार आवेदन की संवीक्षा की गई और सभी प्रकार से पूर्ण पाया गया तो अभिहित कार्यालय सिफारिश के साथ आवेदन मुख्यालय को अग्रेषित करेगा। एक आवेदन/दावे की स्वीकार्यता से संबंधित बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और केवल आवेदन प्रस्तुत करने से वित्तीय सहायता दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

5. मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर उसपर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रम किया जाएगा और जैसा अनुप्रयोज्य है, निर्यातक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन जारी किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन जारी करने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक विशेष योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है और सहायता का भुगतान इसके संबंध में बोर्ड द्वारा लिए गए अंतिम निर्णयों के अधीन होगा।

6. सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन पत्र/एम ओ यु/करार में मूल या बढ़ाई हुई अवधि यदि कोई हो तो, की समाप्ति से पहले, सभी प्रकार से पूर्ण, अंतिम दावा दस्तावेज़ फायल करना, आवेदक का उत्तरदायित्व है।

7. बोर्ड से पात्र सहायता की प्रतिपूर्ति जैसा अनुप्रयोज्य हो, जारी किए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन पत्र/एम ओ यु/करार आदि के कार्य प्रणाली, निबंधन और शर्तों और बोर्ड द्वारा उत्तरवर्ती भौतिक सत्यापन /निरीक्षण,यदि आवश्यक है तो के अनुसार होगी।

8. यदि आवश्यक समझें तो आवेदक को पहली बार का आवेदक, एस एम ई, एफ पी सी/एफ पी ओ/एस पी एस, फोकस सेक्टर/क्षेत्र आदि जैसे उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों के मामले में, उच्च स्तर की सहायता प्रदान की जाएगी।

10. निम्नलिखित निर्यातकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

    क) एकायत्त संस्था के मामले में, स्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होगा।

    ख) साझेदारी फर्म के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भागीदोरों के पास इकाई का 51 प्रतिशत शेयर होना चाहिए।*

ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के मामले में, कम से कम 51 प्रतिशत शेयर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशकों/संप्रवर्तकों के पास होंगे।*

* वित्तीय सहायता के लिए भागीदार/निदेशक/संप्रवर्तक के पास पूर्ववर्ती एक साल के लिए इकाई का कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भागीदार/संप्रवर्तक/निदेशक की शेयर पूंजी वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के बाद कम से कम दो उत्तरवर्ती वर्षों के लिए 51 प्रतिशत होना चाहिए। इसके संबंध में, भुगतान जारी करने से पहले आवेदक द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

11. उन निर्यातकों के मामले में, जिमके पास जी एस टी रकम वापसी करने की व्ययस्था है, सहायता प्रदान करते समय बोर्ड जी एस टी घटक पर विचार नहीं करेगा।

12. उन योजनाओं के मामले में, जिनमें उपकरण की खरीद शामिल है, विशेषत: मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) या उनके प्राधिकृत वितरक/उपकरण के एक ब्यौहारी से कोटेशन/ प्रोफॉर्मा बीजक/ बिल प्राप्त किए जाएँगे।

13. कोटेशन में स्पष्ट रूप से पता, जी एस टी एन, टी आई एन एवं पी ए एन, विस्तृत विनिर्देशन के साथ उत्पाद विवरण, विधिमान्यता तिथि एवं मद/इकाई वार लागत एवं कुल रकम दिखाना है।

14. यद्यपि किसी विशेष तिमाही में निर्यात नहीं हुआ तो भी निर्यातक बोर्ड को नियमित रूप से ऑनलाइन तिमाही निर्यात विवरणी प्रस्तुत करेगा।

15. बोर्ड के पास किसी एजेंसी, संस्था, समिति आदि द्वारा परियोजना को मूल्यनिरूपित/मूल्यांकित कराने का अधिकार है। यदि परियोजना व्यवहार्य नहीं पाया गया तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन केवल पात्र मद एवं गतिविधियों के आधार पर होगा और अपात्र मद एवं गतिविधियों पर किसी व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. उन योजनाओं के मामले में जिनको निर्यात बाध्यता की पूर्ति आवश्यक है, निर्यातक भुगतान जारी करने से पहले बोर्ड को सहायता के 110 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। साथ में, कुछ योजनाएँ (उत्पाद विकास एवं अनुसंधान आदि) जिनको निर्यात बाध्यता की पूर्ति आवश्यक नहीं है, उन्हें भी भुगतान जारी करने से पहले सहायता के 110 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

17. यदि कंपनी के स्वामित्व/प्रबंधक वर्ग में किसी बदलाव है तो यह निर्यातक का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोर्ड द्वारा जारी किए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में इसे समाविष्ट कराएँ।

18. निर्यातक को यह बताते हुए घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि जिस विशेष योजना

के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए केंद्र/ राज्य एजेंसी द्वारा किसी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं किया गया है। यदि किसी अन्य केंद्र /राज्य एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया है तो उस का विवरण स्पाइसेस बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

19. स्पाइसेस बोर्ड का बजट आबंटन वाणिज्य विभाग द्वारा तय किया जाता है और वास्तविक आबंटन अनुमान से भिन्न हो सकता है। सहायता का संवितरण सरकार द्वारा वास्तविक बजट आबंटन एवं निधि की उपलब्धता के अधीन है।

20. स्पाइसेस बोर्ड समय-समय पर कार्य प्रणाली में नियत शर्तों को जोड़ेगा/आशेधित करेगा/ हटाएगा।

21. नीचे की तालिका में दिए गए अनुसार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क + जी एस टी लागू होगा। आवेदक को निधि जारी करते समय प्रसंस्करण शुल्क घटाया जाएगा। बोर्ड द्वारा घटाया गया प्रसंस्करण शुल्क सहायता का हिस्सा होगा।

योजना	प्रसंस्करण शुल्क
उत्पाद अनुसंधान एवं विकास	सामान्य श्रेणी के लिए कुल पात्र सहायता का पांच प्रतिशत
खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र / प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता	सामान्य श्रेणी के लिए कुल पात्र सहायता का एक प्रतिशत
तेज़ खाद्य परीक्षण तंत्र एवं किट के लिए निर्यातक को सहायता	
व्यवसाय नमूने विदेश में भेजने के लिए निर्यातकों को सहायता	
पैकेजिंग विकास एवं बार कोडिंग	
भारतीय मसाले ब्रैंड का संवर्धन (ब्रैंड संवर्धन योजना)	
अंतर्राष्ट्रीय मेला/बैठक/ संगोष्ठी/प्रशिक्षण में प्रतिभागिता	

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कस्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों के लिए शुल्क लागू नहीं होगा।

<u>कार्यक्रम</u>

1. **अवसंरचना विकास:**

<u>1 क) तेज़ खाद्य परीक्षण उपकरण एवं किट के लिए निर्यातक को सहायता</u>

आंतरिक गुण, भौतिक पैरामीटर, टॉक्सिन, संदूषक आदि के परीक्षण के लिए तेज़ खाद्य परीक्षण उपकरण एवं किट उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तर के कच्चा माल साथ ही साथ संसाधित उत्पाद की परीक्षण करने में निर्यातक को प्रोत्साहन देना है जो आंतरिक गुण, गुणवत्ता एवं सुरक्षा पहलुओं आदि को अनुवीक्षण करने में सहायता करेगा।

योजना के अंतर्गत सहायता तेज़ गुणवत्ता एवं सुरक्षा परीक्षण उपकरण एवं किट की लागत के 33 प्रतिशत होगी जो अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 10.00 लाख रुपए होगी।

एवं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों के लिए तेज़ गुणवत्ता एवं सुरक्षा उपकरण एवं किट की लागत का 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम 15 लाख रुपए हो।

रंग एवं गर्मी मूल्य, रासायनिक संघटक, आंतरिक गुण, राख, नमी, टॉक्सिन, संदूषक, अवशिष्ट आदि का परीक्षण करने के लिए उपयोग करने वाले उपकरण/किट योजना के अंतर्गत सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। सहायता उन मदों तक सीमित होगी जो उपकरण/किट का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और प्रारंभिक खरीद चरण में शामिल होते हैं। उपकरण/किट के संचालन चरण के दौरान आवश्यक सहायक उपसाधन/उपभोज्य वस्तुएँ पात्र सहायता की गणना के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़:

क) निर्धारित फार्म में आवेदन।

ख) स्थापित करने के लिए प्रस्तावित उपकरण एवं किटों की सूची।

ग) पूर्तिकर्ता से तकनीकी ब्रोशर/विवरण के साथ उपकरण एवं किटों के कोटेशन की प्रतियाँ।

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख के बाद के साधन एवं किटों की स्थापना के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए सभी भुगतानों पर ही विचार किया जाएगा।

सभी भुगतान क्रॉस चेक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक अंतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएंगे, जो बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देने चाहिए। तथापि, परियोजना से जुड़े खुदरा खर्च के लिए 20,000/- रुपए तक के नकद भुगतान पर विचार किया जा सकता है।

आवेदन एवं अन्य समर्थक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव मूल्यांकित किया जाएगा। यदि प्रस्ताव संगत/संतोषजनक पाया गया तो आवेदक को सैद्धांतिक रूप से एक अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्थापना पूरा करेगा और निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

1. बिल/वाउचर/रसीद की प्रतियाँ (स्व अनुप्रमाणित)।

2. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण।

3. आपूर्तिकर्ता को जारी किए भुगतानों का विवरण देने वाली बैंक विवरणी।

4. अन्य दस्तावेज़/विवरण यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक है तो।

आवेदक से स्थापना रिपोर्ट एवं समर्थक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर बोर्ड सुविधा/कार्य के पूरा होने के रिकोर्ड को सत्यापित करने और योजना के तहत पात्र सहायता की गणना करने के लिए एक निरीक्षण की व्यवस्था कर सकता है। निरीक्षण रिपोर्ट एवं लाभार्थी द्वारा निष्पादित करार के आधार पर बोर्ड पात्र सहायता जारी करेगा। इस योजना के अंतर्गत कोई निर्यात बाध्यता और बैंक गारंटी निर्धारित नहीं है।

1ख) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र /प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता

इस योजना के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा आई एस ओ/ एच ए सी सी पी/ एफ एस एस सी 22000/ एन पी ओ पी आदि (कोशर, हलाल, जी एम पी, एस क्यू एफ, बी आर सी आदि सहित) के अंतर्गत निर्यातक के प्रसंस्करण इकाइयों, इन हाउस प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन/प्रमाणन की लागत, आयात राष्ट्रों / विदेशी खरीददार सत्यापन कार्यक्रम (एफ बी वी पी) आदि पर विचार किया जाएगा।

अवधि के दौरान बोर्ड सामान्य श्रेणी के निर्यातक लिए प्रमाणन की लागत के 33 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम 5.00 लाख रुपए हो, देने का प्रस्ताव करता है।

एवं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों एवं एफ पी ओ निर्यातकों उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों को प्रमाणन की लागत के 75 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 7.50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़:

क) निर्धारित फार्मेट में आवेदन

ख) प्रमाणन निकाय/एजेंसी से प्राप्त कोटेशन/अनुमान

ग) सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ों के साथ प्रमाणन निकाय का विवरणिका

घ) प्रमाणन एजेंसी को जारी किया कार्य आदेश की प्रति (जैसा और जब जारी किया)

आवेदन एवं समर्थन दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक रूप से एक अनुमोदन पत्र जारी करेगा ताकि प्रमाणन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रमाणन पूरा करें। पूरा होने पर बोर्ड को बीजक एवं प्रमाणन निकाय को किए गए भुगतान के प्रमाण के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। इस योजना के अंतर्गत कोई निर्यात बाध्यता और बैंक गारंटी निर्धारित नहीं है।

(2) व्यापार संवर्धन

2क) विदेश में व्यापार नमूना भेजना

सामान्य रूप से मसाले एवं मसाला उत्पादों के निर्यात संविदा खरीददारों को प्रदान किए गए नमूने के आधार पर संपन्न होगा। निर्यातक को अनुमोदन के लिए एवं खरीददारों के नमूने मिलाने के लिए विदेश के ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। नमूने कुरियर करने की लागत एवं एक संविदा के लिए कुरियर करने वाले नमूनों की संख्या ध्यान में रखते हुए विदेश में नमूने भेजने के कुरियर शुल्क की लागत पूरा करने में निर्यातकों को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है।

व्यापारी निर्यातक जिसका वार्षिक कारोबार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 250 करोड रुपए से अधिक न हो एवं एम एस एम ई निर्यातकों को प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दिया जाएगा।

सामान्य श्रेणी के लिए प्रति वर्ष कुरियर शुल्क की लागत का 50 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम 1.50 लाख रुपए हो, सहायता दी जाएगी ।

एवं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों प्रति वर्ष कुरियर शुल्क की लागत का 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम 2.25 लाख रुपए हो, सहायता दी जाएगी।

कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे उत्तरवर्ती महीने के अंतिम दिन के पहले केवल तिमाही आधार पर विचार किया जाएगा। अगर प्रस्तुत करने में देरी होने के लिए कोई वैध कारण नहीं है तो उत्तरवर्ती महीने के बाद प्रस्तुत बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति

के लिए दावे वार्षिक आधार पर विचार किया जाएगा और आवेदन एवं बिल 1 मार्च 2022 से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदन में कुरियर मार्ग-पत्रक, बीजक, पात्रता का प्रमाण (व्यापारी एवं एम एस एम ई निर्यातकों के लिए तुलन-पत्र, एम एस एम ई पंजीकरण आदि), सुपुर्दगी का सबूत आदि शामिल होंगे।

एक मद के नमूने का वज़न मसाला तेल और तैलीराल के मामले में एक किलोग्राम और अन्य मसाले और मसाला उत्पादों के लिए पाँच किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कुरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करने के लिए कोई निर्यात बाध्यता निर्धारित नहीं है।

2 ख) पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग, क्यू आर कोड, ई पी सी / आर एफ आई डी

वर्द्धित शेल्फ लाईफ एवं भंडारण में कमी एवं विदेश की विपणि में भारतीय मसालों के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए मौजूदा पैकेजिंग में सुधार लाने एवं आधुनिक पैकेजिंग का विकास करने की अवश्यकता महसूस की जाती है। बोर्ड का लक्ष्य वर्द्धित शेल्फ लाईफ एवं भंडारण में कमी एवं विदेश वाणिज्य में भारतीय मसालों के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए मौजूदा पैकेजिंग को सुधार करने एवं आधुनिक पैकेजिंग का विकास करने में सभी पंजीकृत निर्यातकों की सहायता करना है जिन्होंने अपने ब्रांड का नाम स्पाइसेस बोर्ड के साथ पंजीकृत किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत विपणि की उभरती ज़रूरतों के अनुसार पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग, क्यू आर कोड, ई पी सी /आर एफ आई डी आदि पर विचार किया जाएगा।

सामान्य श्रेणी के निर्यातक के लिए सहायता प्रति वर्ष पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग/क्यू आर कोड/ई पी सी/आर एफ आई डी/ अनुरेखणीयता की लागत के 50 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम 1.50 लाख रुपए हो, होगी ।

एवं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों के लिए सहायता लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 2.25 लाख रुपए होगी ।

वे निर्यातक, जिनको अपना एक ब्रांड है, लेकिन ब्रांड नाम बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं है, वे योजना आवेदन के साथ ब्रांड पंजीकरण आवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

निर्यातक को डिज़ाईन की लागत, फोटोग्राफी, कलाकार्य, सिलेंडर एवं बार कोडिंग क्यू आर कोड/ई पी सी/आर एफ आई डी/अनुरेखणीयता आदि के लिए घटक एवं कोटेशन के साथ

डमी प्रिंट प्रस्तुत करना होगा। योजना के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा/सहायता के अधीन डमी पैकिंग की लागत एवं परीक्षण शुल्क पर भी विचार किया जाता है।

आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड निर्यातक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन जारी करेगा। गतिविधि पूर्ण होने के बाद, निर्यातक बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:

1.योजना के तहत विकसित किए गए भरे हुए अंतिम पैक के दो सेट
2. बिल,वाउचर एवं रसीद की प्रति (स्व अनुप्रमाणित)
3. व्यय के भुगतान का प्रमाण

गतिविधि के लिए दावा प्राप्त होने पर बोर्ड निर्यातक को पात्र सहायता जारी करने पर विचार करेगा।

उपरोक्त गतिविधि/घटक के लिए सहायता उपलब्ध करने के लिए कोई निर्यात बाध्यता निर्धारित नहीं है।

2ग) उत्पाद अनुसंधान एवं विकास (पंजीकृत निर्यातकों एवं संस्थाओं के लिए)

मसालों को औषधीय, कोस्मेटिक, पोषण एवं स्वास्थ्य मूल्यों के लिए जाना जाता है। देश में इस तरह के उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। तथापि, मसालों / मसाले अर्क / मसाले मिश्रण के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रलेखित साक्ष्य / विधिमान्यकरण अध्ययन मौजूद नहीं है। प्रलेखन / विधिमान्यकरण की अनुपस्थिति इस तरह के उत्पादों की विक्रेयता को रोकता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि अगर वैज्ञानिक रूप से आयोजित परीक्षण एवं नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित प्रलेखन / विधिमान्यकरण उत्पन्न होता है तो उत्पादों को बहुत अधिक मूल्यवर्धन के साथ तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों को स्थापित बाज़ार में वैकल्पिक दवा, क्रियाशील आहार, पौष्टिक औषधीय पदार्थ, इम्यूनिटी बूस्टर आदि के रूप में उच्च स्तर के मूल्यवर्धन के साथ विपणन एवं पेटेंट (आवश्यक है तो) किया जा सकता है। साथ ही, देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की भी गुंजाइश है।

यद्यपि निर्यात में उनके अपार संभावनाएँ है, पारंपरिक औषधीय रूप में मसालों के ज्ञात गुणों को दर्ज करने एवं स्थापित करने के नैदानिक एवं अन्य परीक्षण एवं मसालों के गुणों के आधार पर नए उत्पादों का विकास बहुत महँगा है। आवश्यक है तो मसालों के पौष्टिक औषधीय, औषधीय, कोस्मेसियुटिक्ल गुणों, जिसमें नैदानिक अध्ययन शामिल है, के आधार पर उत्पाद अनुसंधान एवं विकास अध्ययन आरंभ करने हेतु आवश्यक सुविधा वाले राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास अध्ययन संस्थाओं एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने एवं निर्यात

बाज़ारों को लक्षित करके नए उत्पादों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

योजना के तहत सहायता, उत्पाद अनुसंधान एवं विकास की लागत का 50 प्रतिशत होगी बशर्तेकि अधिकतम 25.00 लाख रुपए हो और यदि नैदानिक परीक्षण एवं पेटेंटिग शामिल है तो 1.00 करोड रुपए होगी। साथ ही केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान व विकास तथा अन्य संस्थाओं के लिए लागत की 100 प्रतिशत सहायता होगी बशर्तेकि अधिकतम 25.00 लाख रुपए हो और यदि नैदानिक परीक्षण एवं पेटेंटिग शामिल है तो 1.00 करोड रुपए होगी।

सहायता के प्रमुख क्षेत्र हैं:

क) नए मसाले उत्पादों/अनुप्रयोगों को विकसित करने या पारंपरिक/आंतरिक मूल्यों एवं गैर-पारंपरिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की सोवाओं का उपयोग करना।

ख) मसालों के निर्यातकों द्वारा इन हाउस अनुसंधान एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम।

ग) उत्पाद विकास और अनुसंधान करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपस्करों को संस्थापित करने की लागत।

घ) मसालों की चिकित्सकीय गुणों को स्थापित एवं विधिमान्य करने के नैदानिक परीक्षण।

ङ) उपभोक्ता राष्ट्रों में पेटेंटिंग एवं उत्पाद पंजीकरण। (ऐसे पेटेंट स्पाइसेस बोर्ड के सह-स्वामित्व में होंगे।

पात्र निर्यातक/अनुसंधान संस्था/विश्वविद्यालय बोर्ड को परियोजना रिपोर्ट एवं परियोजना में शामिल हुए कार्मिक/वैज्ञानिकों (मुख्य जाँचकर्ता एवं सह जाँचकर्ता) के अनुसंधान अनुभव रूपरेखा के साथ प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त हेतु बोर्ड के मुख्यालय को निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत कर सकते हैं।

बोर्ड आवेदन की जाँच करेगा ऐर अगर तकनीकी मूल्यांकन के बाद प्रस्ताव संतोषजनक पाया गया तो योगायता के आधार पर प्रस्ताव के लिए सैद्दांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद स्पाइसेस बोर्ड एवं आवेदक के बीच एक सहमति ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।

वित्तीय सहायता तीन किस्तों में जारी किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है, जब तक इस संबंध में निष्पादित सहमति ज्ञापन/करार अन्यथा प्रदान न करें;

1.परियोजना लागत (उपस्करों की लागत को छोड़कर, यदि कोई है तो) के 30 प्रतिशत का पहला किस्त एवं इस अवधि के दौरान आवश्यक उपस्करों/उपकरणों की लागत अनुसंधान कार्य शुरू करने को सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने पर जारी किया जाएगा।

2. परियोजना लागत (उपस्करों की लागत को छोड़कर, यदि कोई है तो) के 30 प्रतिशत का दूसरा किस्त एवं इस अवधि के दौरान आवश्यक उपस्करों/उपकरणों की लागत प्रस्तावित अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति एवं स्व अनुप्रमाणित बिल एवं वाउचरों द्वारा समर्थित प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय प्रस्तावना की प्रस्तुति के बाद जारी किया जाएगा।

3. अनुसंधान कार्य के संतोषजनक समापन और अंतिम एवं समापन रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद शेष राशि तीसरे किस्त के रूप में बोर्ड के पदधारियों के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना ।

4. यदि परियोजना में नए/नवोन्मेषी उत्पादों का विकास शामिल है, तो बोर्ड को पर्याप्त संख्या में अंतिम उत्पाद प्रदान किए जाएंगे।

5. वैयक्तिक निर्यातक एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के मामले में, सहायता राशि के संबंधित किस्तों को जारी करने से पहले प्रथम और द्वितीय किस्तों के 110 प्रतिशत के समकक्ष बैंक गैरंटी प्रस्तुत करने के बाद सहायता जारी की जाएगी। परियोजना के संतोषजनक समापन एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद बैंग गैरंटी निर्मोचित की जाएगी।

लाभार्थी निम्नलिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो बोर्ड द्वारा विशिष्ट रूप से परियोजना के लिए माँगे जा सकते हैं:

क) उत्पाद अनुसंधान एवं विकास का अंतिम रिपोर्ट
ख) परियोजना के समापन की प्रक्रिया में किए भुगतान के मौलिक बिल एवं प्रमाण।
ग) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय प्रस्तावना।
घ) विकसित किए गए उत्पादों के नमूने (जैसा अनुप्रयोज्य है)
ङ) उत्पादों के दावा किए गुणों को स्थापिक करने के लिए दस्तावेज़ों की प्रति (जैसा अनुप्रयोज्य है)
च) उत्पाद पेटेंट करने के लिए प्रलेखित साक्ष्य (जैसा अनुप्रयोज्य है)
छ) परियोजना के संबंद में बनाए अनुसंधान प्रकाशनों की प्रति (जैसा अनुप्रयोज्य है)
सहमति ज्ञापन/करार के अनुसार या बोर्ड द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज़/विवरण।

प्रत्येक चरण में, लाभार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन और बोर्ड के साथ किए गए सहमति ज्ञापन/करार के नियमों और शर्तों के आधार पर पात्र सहायता जारी की जाएगी। उत्पाद अनुसंधान और विकास के लिए सहायता उपलब्ध करने के लिए कोई निर्यात बाध्यता निर्धारित नहीं है।

2घ) विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों का प्रचार

भारत से मसालों का एक बड़ा हिस्सा विस्तृत रूप में निर्यात किया जाता है और ये दक्षिण पूर्व एशिया, आफ्रिका एवं सुदूर पूर्व की कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अधीन है। मसाला प्रसंस्करण के लिए एक हब होने के नाते, मसाला क्षेत्र को हमारे प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर, मज़बूत एवं अधिक अनुकूलनीय होने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य विदेश के बाज़ार में अनुरेखणीता एवं खाद्य सुरक्षा के साथ भारतीय ब्रैंडों के प्रवेश में निर्यातकों की सहायता करना है। सहायता, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी जो स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क एवं संवर्धन उपाय के 100 प्रतिशत कवर करता है जिसमें इस अवधि के दौरान प्रति निर्यातक को अधिकतम 1.00 करोड रुपए के अधीन उत्पाद विकास की लागत शामिल है।

मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने बोर्ड के साथ अपने ब्रैंड नाम पंजीकृत किए हैं, वे योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। एक निर्यातक तीन साल की अवधि के लिए निर्यात स्थानों में अनुमोदित ब्रैंड का संवर्धन करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। पच्चीस किलोग्राम तक के संस्थागत पैक में मसालों के सभी रूपों में निर्यात और पाँच किलोग्राम तक सभी प्रकार के मसालों के उपभोक्ता पैक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

निर्यातक को निर्धारित फोर्मेट में प्रत्येक खंड/बाजार के वार्षिक लागत ब्रेक अप के साथ किए जाने वाले बाज़ार संवर्धन के विवरण को कवर करने वाले व्यापक प्रस्ताव के साथ एक आवेदन अलग से प्रस्तुत करना होगा।

उचित उत्पाद विकसित करने, पैकेजिंग एवं लक्षित बाज़ारों में लागू सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन जिसमें अनुरेखणीयता विवरण एवं बार कोडिंग और संवर्धन उपाय / गतिविधियाँ (जिसमें रोड शो, खाना बनाने का प्रदर्शन, सोशियल मीडिया अभियान / होटेल / रेस्टोरेंट श्रृंखला, स्लोटिंग/लिस्टिंग शुल्क या अन्य ऐसी गतिविधि शामिल हैं जो बदलती अंतर्राष्ट्रीय विपणन गतिकी को पूरा करने के लिए अनिवार्य है और जो ब्रैंड इमेज बनाने में मदद करता है) कार्यान्वित करना शामिल है।

निर्यातक मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए प्रस्ताव सचिव, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा संगठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति द्वारा मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा के बाद प्रत्येक वर्ष के शुरू में अनुमोदित गतिविधि के लिए प्रस्तावित व्यय के अनुपात में कार्यक्रम के लिए कुल अनुमोदित राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में होगा और विदेशी विनिमय की आवश्यकता, यदि कोई हो तो, निर्यातक को पूरा करना होगा। भुगतान जारी करना बोर्ड के साथ निष्पादित स्टैंप पेपर पर करार साथ ही साथ निर्धारित फार्मेट में जारी किए ऋण राशि के 110 प्रतिशत (ब्याज सहित) के लिए उपयुक्त मूल्य वाले स्टैंप पेपर पर बैंक गैरंटी प्रस्तुत करने पर आधारित होगा।

बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख से काफी पहले नवीकृत किया जाना है और जब भी

आवश्यक हो बढ़ाया जाता है। ऋण की आगे की किश्तों को स्वीकृत/निर्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष के अंत तक निर्यातक को प्रगति रिपोर्ट के साथ की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण देना होता है। साथ ही, प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यय प्रस्तावना, अगले चरण के लिए व्यय किए/प्रतिबद्ध व्यय के लिए समर्थक प्रलेखित साक्ष्य, विनिर्दिष्ट ब्रांड के लिए निर्यात सांख्यिकी आदि के साथ यह विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि संस्वीकृत उद्देश्य के लिए ऋण का पूरी तरह से उपयोग किया गया है । उचित प्रलेखित साक्ष्य एवं संतोषजनक रिपोर्ट की अनुपस्तिति में, बोर्ड किस्तों को कम करेगा या सहायता बंद करेगा।

ऋण चुकाना तीन समान वार्षिक किस्तों में होगी जो निर्यातक द्वारा ऋण प्राप्त होने की तारीख से चौथे वर्ष से शुरू होकर छठे वर्ष में समाप्त होगी।

उपलब्ध राशि के पाँच गुना निर्यात बाध्यता (ई ओ) ऋण का पहला किस्त निकालने से सात वर्ष की अवधि के अंतर पूरा किया जाएगा।

चुकौती में चूक या निर्यात बाध्यता को पूरा न करने की स्थिति में, बोर्ड को निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए बैंक गैरंटी का अवलंब करने और चुकौती में चूक के मामले में और ई ओ की पूर्ति न होने के मामले में आनुपातिक अवलंब करके संपूर्ण शेष ऋण राशि को ब्याज के साथ वसूल करने का अधिकार रखता है।

साथ ही, अगर निर्यातक उपलब्ध पहले किस्त के लिए सभी दस्तावेज़ों के साथ पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाए या रिपोर्ट दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किए मगर एक साल के भीतर उत्तरनर्ती किस्तें उपलब्ध नहीं किया तो निर्यातक के बैंक गैरंटी को अवलंबित किया जाएगा।

2.ङ) अंतर्राष्ट्रीय मेला/बैठक/संगोष्ठी/प्रशिक्षण में प्रतिभागिता

विदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाएँ एवं प्रदर्शनियाँ निर्यातक के लिए वैश्विक खरीददारों के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देने/प्रस्तुत करने का एवं व्यापार शेयर कायम रखने का उत्तम अवसर है। कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात का संवर्धन के लिए निर्यातकों को विदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाओं एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करना है। बोर्ड ने निर्यातकों को मसालों के निर्यात में अपनी सामर्थ्य एवं क्षमता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाओं में स्टॉल लगाने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव किया है।

सामान्य श्रेणी के लिए सहायता, प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 50 प्रतिशत होगा बशर्तेकि 1.50 लाख रुपए से अधिक न हो और स्टॉल किराए का 50 प्रतिशत होगी बशर्ते

कि अधिकतम 5.00 साख रुपए हो।

&

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ निर्यातकों एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के निर्यातकों के लिए प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 2.25 रुपए से अधिक न हो और स्टॉल किराए के रूप में प्रति वर्ष सटॉल किराए की लागत का 75 प्रतिशत होगी, बशर्तेकि अधिकतम 7.50 लाख रुपए से अधिक न हो ।

योजना अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत उपरेक्त दिए सभी घटकों के लिए सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सहायता अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।

बैठकें/ संगोष्ठियों में भाग लेने के मामले में, योजना के अंतर्गत सहायता ए एस टी ए, ई एस ए, आई ओ एस टी ए, आई पी सी, कोडेक्स आदि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित बैठकें/संगोष्ठियों में उपस्थित होने के लिए बढ़ाया जाएगी, बेशर्ते कि भागीदारी संबंधित संगठनों/आयोजकों से आमंत्रण के अनुसार हो।

योजना के अंतर्गत सहायता केवल कंपनी के नियमित निदेशक / भागीदार / नियमित कर्मचारी को अनुप्रयोज्य है और किसी विदेशी नागरिक के लिए स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, हवाई किराया केवल इकणोमी एक्सकर्शन श्रेणी के लिए अनुप्रयोज्य होगा।

गतिविधि के साथ आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन मिलने के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावित गतिविधि को दर्शाने वाला आवेदन कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

गतिविधि के पूरा होने के तुरंत बाद लेकिन सकारात्मक रूप से भारत लौटने के 90 दिनों के भीतर, लाभार्थी अपना दावा निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ और गतिविधि, जिसमें भाग लिया है एवं उपलब्धियां जो हासिल की हैं, के संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ताकि बोर्ड से पात्र सहायता उपलब्ध हो सके।

क) हासिल की उपलब्धि के साथ गतिविधि, जिसमें भाग लिए थे, के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट
ख) मेले में उपस्थित होने / स्टॉल उपलब्ध करने के प्रमाण के रूप में वीडियो/फोटो एवं आगंतुक/प्रदर्शक पास की सुपाठ्य प्रति।
ग) पासपोर्ट की सुपाठ्य फोटोकॉपी जिसमें भारत से प्रस्थान और आगमन के बारे में प्रविष्टियों और साथ ही जिन देशों का दौरा किया गया हो या प्रलेखित साक्ष्य जैसे होटल के बिल, बोर्डिंग पास आदि को उजागर किया गया हो।
घ) यात्रा के दौरान उपयोग किए गए हवाई टिकट की प्रति।
ङ) हवाई किराए के भुगतान के लिए प्रमाण (बिल/रसीद)

च) जो कि स्टॉल किराए पर लेते हुए भागीदारी के लिए किए गए भुगतान के सबूत के रूप में रसीद, बैंक अड्वाईस आदि की स्व प्रमाणित प्रति।

छ) बोर्ड द्वारा माँगे गए अन्य दस्तावेज़।

2.च) मसालों के निर्यातक के रूप में प्रमामपत्र पंजीकरण के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति

देश से मसालों के निर्यात के लिए मसालों के निर्यातक (सी आर ई एस) के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के उद्यमियों को एवं देश भर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ को मसालों में निर्यात व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सी आर ई एस शुल्क के हिस्से की प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है।

योजना के अंतर्गत सी आर ई एस (जी एस टी को छोड़कर) पंजीकरण शुल्क के 75 प्रतिशत अधिकतम 11,250/- रुपए के अधीन उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) एवं अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख, राज्य अधिसूचित आई टी डी पी क्षेत्रों एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र) के उद्यमियों को एवं देश भर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफ पी ओ को प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को श्रेणी/पात्रता के प्रमाण और सी आर ई एस के विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

स्पाइसेस बोर्ड के साथ ब्रांड नाम के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़/सामग्री

जो निर्यातक स्पाइसेस बोर्ड के साथ अपने ब्रांड को पंजीकृत करना चाहते हैं, वे आवेदन नीचे निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ निर्धारित फार्मेट में सीधे स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची में प्रस्तुत करेगा।

1.निर्धारित प्रपत्र में आवेदन

2.आई आई पी से परीक्षण रिपोर्ट एवं परीक्षण किए पैक- इसके लिए आपको 15 खाली पैक (लचीले पाउच, भीतरी पाली बैग के साथ दफ्ती, मेटल कंडीशन्स, प्लास्टिक के जार और कांच की बोतलें सहित) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पैकेजिंग के किसी भी कार्यालय को रिपोर्ट एवं परीक्षण किए पैकों को सीधे स्पाइसेस बोर्ड को अर्गेषित करने का एक अनुरोध के साथ भेजना है।

या

विशेष ब्रैंड का ट्रेडमार्क पंजीकरण विवरण।

3. खाली नमूने पैकट के दो सेट एवं प्रत्येक ब्रैंड के सभी उत्पादों का एक सेट भरा पैकेट
4.अगर पैक पर अंग्रेज़ी/हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा छपी है तो पैक पर छपा हुआ विवरण का अंग्रेज़ी/हिन्दी अनुवाद।

बोर्ड के साथ पहले ही पंजीकृत किए पैक के रंग, आकार, छपाई एवं डिज़ाइन में कोई आशोधन करने के लिए निर्यातक को विचार के लिए उपरोक्त अन्य सभी दस्तावेज़ों के साथ बोर्ड को आवेदन करना जाहिए।

****